



समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R. 2050 - III/14

1. सुरेश तनय रामदेव मिश्रा
 2. हरी तनय रामदेव मिश्रा
 3. सावित्री बेवा जमुना मिश्रा
- सभस्त निवासी प्रकाश बम्हौरी तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....आवेदकगण

//विरुद्ध//

1. सुखदेव तनय बड़ेभाई ब्रा०
 2. मुस. दीदी बेवा बड़ेभाई ब्रा०
 3. रामेश्वर तनय बड़ेभाई ब्रा०
 4. रामदेव तनय बड़ेभाई ब्रा०
 5. अभिनय कुमार तनय बासुदेव ब्रा०
 6. रामश्री पुत्री बासुदेव ब्रा०
 7. सखा पुत्री बासुदेव ब्रा०
 8. चम्पा पुत्री बासुदेव ब्रा०
 9. पूना पुत्री बासुदेव ब्रा०
 10. विनोद पुत्री बासुदेव ब्रा०
 11. नचरैया पुत्री बासुदेव ब्रा०
 12. मुस. विमला बेवा महादेव
 13. आदर्श तनय महादेव
 14. अंकित तनय महादेव
 15. पुष्पकाल तनय महोदय
 16. आकृति पुत्री महादेव
- समस्त निवासी ग्राम बम्हौरी तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. के प्र.क्र. 158/निगरानी/अपील/07-08 में पारित आदेश दिनांक 13/08/13 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-

1. यह कि प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2001 के विरुद्ध अपील आवेदकगणों द्वारा इस आधार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-2050-तीन/2014

जिला-छतरपुर

सुरेश मिश्रा आदि विरुद्ध सुखदेव आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 158/निगरानी/अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 13-08-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 11-09-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

(जी0के0 जैन)
सदस्य